की जाती है। वकीलान के विरोध के प्रश्न में साक्ष्य
बहस वकीलान सुनी जाकर दर्ज नहीं। निर्णय हेतु
दिनांक 14/7/2021 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

14/7/2021: वकीलान द्वारा वादी का वाद अधीन धारा 53, 88 R.T. Act अंकित स्वीकार किया जाकर प्रारंभिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि० है। पत्रावली वास्ते P/D कागजात इन्तजार दिनांक 05/8/2021 को पेश हो।

जगदीश सिंह
Identified

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

05/8/21: वकीलान द्वारा P/D रिपोर्ट प्राप्त है। इन्तजार होकर निर्णय हेतु 17/8/2021 को पेश हो।

17/8/21

वकीलान द्वारा प्रारंभिक डिक्री प्रस्ताव प्राप्त हुए जिस पर वकीलान को सुना गया। प्रारंभिक प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा वाद अब के मुताबिक P/D अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। अतः वाद को मुताबिक P/D प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत किया निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि० है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

Court
FR
17/8/2021

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

×××

क्रमांक /भू०अ०/प्राथमिक डिक्री/2021/3291 दिनांक 17-8-2021

प्रेषित:- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो० जायल

विषय:- प्राथमिक डिक्री का बँटवारा प्रस्ताव भिजवा भेजने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके न्यायालय के राजस्व वाद सं. 16/2021 अनवान जगदीश सिंह बनाम श्रवण सिंह वगैरा में जारी प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हो चुका है।

अत: इस पत्र के संलग्न राजस्व वाद सं. 16/2021 का बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवामें आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न - रा० वा० सं० 16/2021 का बँटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में।

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं शक्तिसिंह ....(नाम)उपतहसीलदार ......डेह......, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, रीडर/कोर्ट/403 के आदेश क्रमांक रीडर/कोर्ट/2021/403 दिनांक 14/7/21 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 5/8/21 समय 4:00 बजे आराजी खसरा नम्बर- 498, 2160/828 वाके ग्राम डेह व किशनपुरा पटवार हल्का ......डेह...... पर श्री ....बजरंगलाल.... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा। तहसीलदार साहब जायल के आदेश क्रमांक/भू अ/प्र डिडी/2021/2582 दि 6/7/2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...जायल.... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-....16/2021.... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ....446.... दिनांक ....4/8/2021.... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	जगदीशसिंह	श्रवणसिंह		राजपूत	वादी
2	आलमसिंह	श्रवणसिंह		-"-	वादी
3	श्रवणसिंह	गुमानसिंह		-"-	प्रतिवादी

जगदीशसिंह
आलमसिंह
अ.नि. श्रवणसिंह

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

		ग्राम	ख.नं.	रकबा	दिशा
1	वादी नं. 1 जगदीशसिंह पुत्र श्रवणसिंह के हिस्से में	किशनपुरा	2160/828 मे	3.0756	उत्तरी भाग
2	वादी नं. 2 आलमसिंह पुत्र श्रवणसिंह	किशनपुरा	2160/828 मे	3.0756	दक्षिणी भाग
3.	प्रतिवादी नं. 1 श्रवणसिंह पुत्र गुमानसिंह के हिस्से में रहन HDFC बैंक लिमिटेड शाखा नागौर	डेह	498	2.0234	सम्पूर्ण भाग

विभाजन प्रस्ताव का नजरी नक्शा संलग्न है। (अनुलग्नक-2)

महेन्द्र कुचिया
पटवारी (भू.अ.)
प.म. ....डेह....
तह. जायल (नागौर)
05/08/021

बजरंग लाल 5/8/2021
निरीक्षक (भू.अ.) वृत डेह
तहसील जायल (नागौर)

अ.नि. श्रवणसिंह

आलमसिंह
जगदीश सिंह

उप तहसीलदार
डेह (नागौर)

Scanned with CamScanner

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	जगदीशसिंह S/o	श्रवणसिंह	राजपूत	जगदीशसिंह	वादी
2.	जालमसिंह S/o	श्रवणसिंह	राजपूत	जालमसिंह	वादी
3.	श्रवणसिंह S/o	गुमानसिंह	राजपूत		प्रतिवादी

अ.नि. श्रवणसिंह

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

nil

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..	
1	पप्पुसिंह S/o	अनोपसिंह	37	राजपूत	ग्राम डेह	पप्पुसिंह
2.	मिश्रीलाल S/o	[illegible]	56	साद	ग्राम डेह	मिश्रीलाल

इस प्रकार आज दिनांक 5/8/2021. को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर पटवारी प.म. डेह	हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक वृत.	हस्ताक्षर ना. तहसीलदार	हस्ताक्षर तहसीलदार
महेन्द्र कांचिया पटवारी (भू.अ.) प.म. डेह तह० जायल (नागौर)	5/8/21 बजरंग लाल निरीक्षक (भू.अ.) वृत डेह तहसील जायल (नागौर)	उप. तहसीलदार डेह (नागौर)	....

Scanned with CamScanner

ग्राम डेह तहसील जायल

बटवारा प्रस्ताव

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला: नागौर के राजस्व वाद संख्या 16/2021 निर्णय दिनांक 14/7/2021 प्राप्ति डिक्री

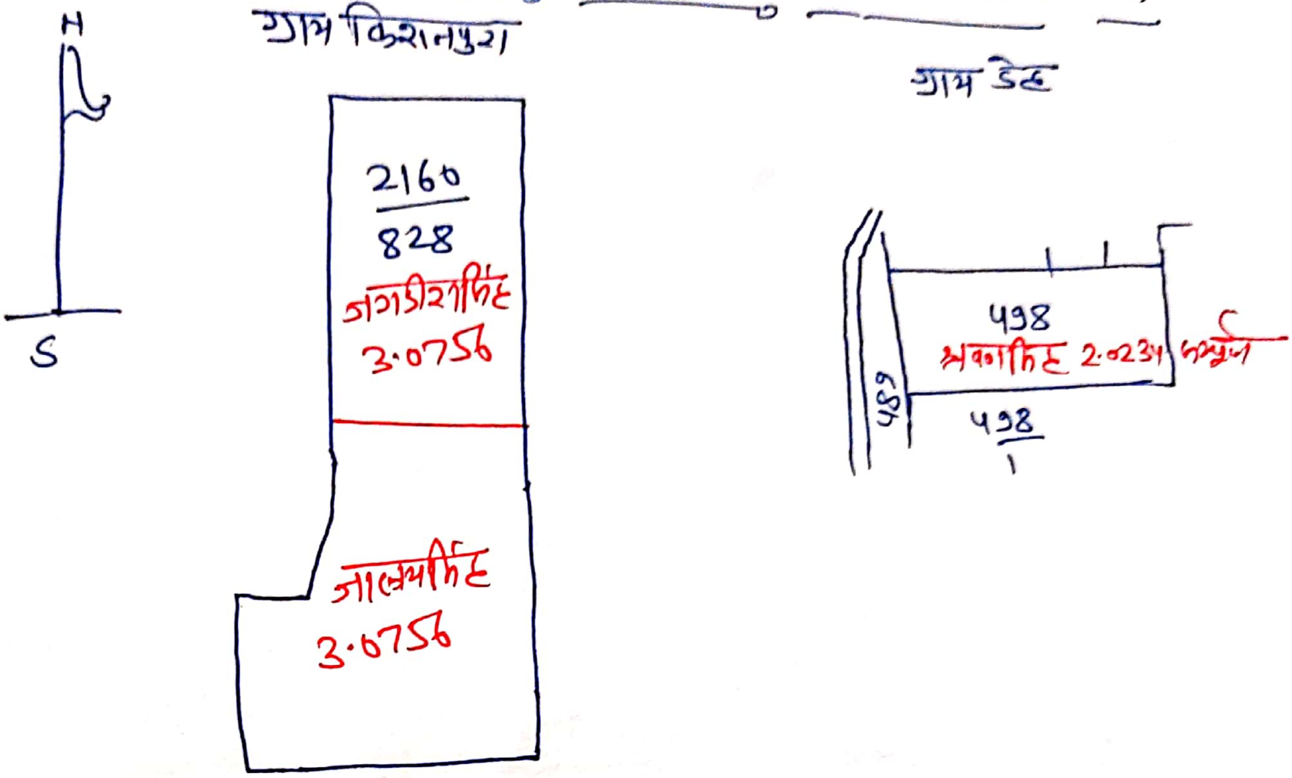

जगदीश सिंह

जालमसिंह

अ.नि. श्रवणसिंह

उप तहसीलदार
डेह (नागौर)

महेन्द्र कुचिया
पटवारी (भू.अ.)
प.म. डेह
तह. जायल (नागौर)
05/08/021

5/8/2021
बजरंग लाल
निरीक्षक (भू.अ.) वृत्त डेह
तहसील जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :16/2021

वादीगण–

1. जगदीश सिंह
2. जालम सिंह पुत्रगण श्रवण सिंह

   जातियान– राजपूत निवासीगण–डेह ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. श्रवणसिंह पुत्र गुमान सिंह

   जाति– राजपूत निवासी– डेह, तहसील जायल (नागौर)

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री राजकुमार शेखावत प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 17/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डेह तहसील जायल में खेत खसरा नं. 498 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, मौजा किशनपुरा के खेत खसरा नं. 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादी ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2 वर्ष पूर्व वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क व ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है। वादी संख्या 2 जालमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

17/8/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

श्रवणसिह के हक बंट में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 498 रकबा 2.0234 हैक्टेयर यथावत रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 05.04.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री राजकुमार शेखावत ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह जगदीश सिह पुत्र श्रवणसिंह के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम डेह तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1575 प्रदर्श–1, ग्राम किशनपुरा सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 240 प्रदर्श–2 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 05.04.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 05.04.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा डेह एवं किशनपुरा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 498 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 2160/828 माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 2160/828 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.07.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.07.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3291 दिनांक 17.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी जगदीशसिंह,जालमसिंह,श्रवणसिंह ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पप्पुसिंह पुत्र अनोपसिंह, मिश्रीलाल पुत्र लिखमीदास साद एवं पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। इसलिये मौजा किशनपुरा एवं डेह तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 2160/828, 498 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा किशनपुरा एवं डेह तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 2160/828 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3291 दिनांक 17.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 जालमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणसिह के हक बंट में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 498 रकबा 2.0234 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 17/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

17/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 16/2021
जगदीश वगैरह बनाम् श्रवणसिंह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण-

राजस्व वाद संख्या : 16/2021

1. जगदीश सिंह
2. जालम सिंह पुत्रगण श्रवण सिंह
   जातियान- राजपूत निवासीगण-डेह ,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. श्रवणसिंह पुत्र गुमान सिंह, जाति- राजपूत निवासी- डेह, तहसील जायल (नागौर)

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री राजकुमार शेखावत प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- : : डिक्री आदेश : : -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूवरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री राजकुमार शेखावत अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा किशनपुरा एवं डेह तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 2160/828 में वादी संख्या 1 व 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3291 दिनांक 17.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 जगदीश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंबर 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर उतरी भाग रखा जाकर खातेदा घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 जालमसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा किशनपुरा का खेत खसरा नंब 2160/828 रकबा 6.1512 हैक्टेयर में से 3.0756 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेद घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 श्रवणसिह के हक बंट में मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 498 रकबा 0234 हैक्टेयर यथावत रखा गया है।

(रवीन्द्र कुमार) (एस.डी.ओ.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 16/2021
जगदीश वगैरह बनाम् श्रवणसिंह

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......17/8/2021...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

17/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner